न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

विभाजन वाद–16/2021

विजय कुमार राय वगैरह..............................वादीगण

बनाम

अजय राय वगैरह...प्रतिवादीगण

आदेश

05.08.25 अभिलेख आज वादीगण की ओर से आदेश दिनांक–23.07.2024 को वापस लेने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–07.01.2025 पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी को उपरोक्त आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल करने से न्यायालय द्वारा वंचित किया गया है।

वादीगण ने अपने आवेदन में निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद वादीगण की ओर से वादपत्र के विवादित संयुक्त सम्पत्ति में वादीगण के अंश का बंटवारा डिक्री हेतु दाखिल किया है जिसमें वादी ने अपना मूल कागजात दाखिल किया है जो अभिलेख पर उपलब्ध है जिसके आलोक में वादी को अपना साक्ष्य देना था, परन्तु अचानक वादी सं0–1 बीमार पड़ गए एवं उनके पुत्रगण जो वादी पक्षकार है उनके इलाज में व्यस्त रहने के कारण न्यायालय नहीं आ सके, जिस कारण उनका साक्ष्य दिनांक–23.07.2024 को बन्द हो गया और अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत हुआ जबकि प्रतिवादी भी वाद में उपस्थित होकर पैरवी करना बन्द कर दिए। वादी जानबूझकर साक्ष्य देने में कोई कोताही नहीं की है, बल्कि परिस्थितिवश ससमय न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा तथा यदि वादी को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी और यदि साक्ष्य का अवसर दिया जाता है तो वादी हर तिथि को साक्ष्य देने हेतु वो पैरवी हेतु तत्पर रहगा। अतः निवेदन है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–23.07.2024 को वापस लेते हुए वादी को पुनः साक्ष्य देने का अवसर दिए जाने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद बहस हेतु लंबित चला आ रहा है तथा दिनांक–23.07.2024 को वादी साक्ष्य बन्द किया गया तत्पश्चात् अभिलेख प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत किया गया, परन्तु अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी को साक्ष्य हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेत आवश्यक प्रतीत होता है, परन्तु वादी को पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना वाद में विलंब कारित होगा। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन को मो0 1000/– रुपये खर्च प्रतिवादी को अदा किए जाने के शर्त पर स्वीकृत किया जाता है तथा आदेश दिनांक–23.07.2024 को वापस लेते हुए अभिलेख पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि अगली पॉच तिथियों में अविलंब अपना साक्ष्य पूर्ण करें।

वाद दिनांक– 04-11-2025 वास्ते पुनः वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।